कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

क्र./6020 / जि.पं./MGNREGA/2013–14 कांकेर दिनांक 9/07/2013

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक /4481/स्था./रोगयो/2008 रायपुर दिनांक 03.09.2008 के आधार पर दिये गये वित्तीय अधिकार को प्रयोग में लाते हुए महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम – 2006 में निहित प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं छ.ग.शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा चारामा द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के आधार **01 कार्य** हेतु **रूपये 4.020 लाख** की प्रशासकीय स्वीकृति जनपद पंचायत चारामा को प्रदाय की जाती है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य की मांग आने पर कार्यादेश जारी करना सुनिश्चित करें।

(राशि लाख में)

कार्य कोड	कार्य का नाम	पात्रता का आधार	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का शीर्ष	कार्य की लागत				तकनीकी स्वीकृति राशि
						मजदूरी	सामग्री	आकस्मिक राशि	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जनपद पंचायत चारामा										
2013/03/07/01	सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य ईश्वर घर से सुखदेव घर तक 200 मी0		भुईगाव	बासनवाही	ग्रा.स.स.	0.790	3.160	0.070	4.020	5.980
	महायोग:–	1				0.790	3.160	0.070	4.020	5.980

यह स्वीकृति निम्न् शर्तों के साथ दी जाती है :–

1. सचिव छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/1830/दिनांक 02.05.2006 में दिये गये निर्देश के कंडिका 08 के अनुसार परिवार रोजगार कार्ड धारक परिवारों को ही रोजगार उपलब्ध कराया जाना है ।
2. मजदूरी भुगतान बैंक एवं डाकघर के माध्यम से वेज स्लीप के आधार पर किया जाना अनिवार्य होगा।
3. कार्यों की गुणवत्ता,निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता मूल्यांकन समिति का प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक होगा।
4. योजना के कियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित रहेगी। ठेकेदारी/बेचौलिये से कार्य कराते हुये पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के कार्य निरस्त कर दिया जायेगा एवं व्यय की गई राशि संबंधित ऐजेन्सी से वसूल किया जायेगा। कार्य संरचना की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करते हुये मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीन (Labour displancing machine) का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
5. कार्य स्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा,पेयजल, छाया हेतु शेड, झूलाघर इत्यादि उपलब्ध करायी जायेगी।
6. योजनान्तर्गत कार्यरत व्यक्ति को चोट लगने अथवा कार्य करते समय दुर्घटना से अस्थायी अपंगता की स्थिति में क्रियान्वयन ऐजेन्सी द्वारा निःशुल्क आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
7. कियान्वयन एजेन्सी को संबंधित जनपद पंचायत से कार्यवार मस्टररोल प्राप्त करना होगा।
8. मस्टररोल में श्रमिक का परिवार रोजगार कार्ड कमांक अनिवार्य रूप से अंकित की जावेगी।
9. कियान्वयन एजन्सी को मस्टर रोल की एक प्रति अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत की अभिलेखों में पूर्ति हेतु उलपब्ध करानी होगी।
10. मस्टररोल पर दर्शाये गये श्रमिकों, भुगतान की राशि, कार्य दिवस ,अकार्य दिवस के विवरण ग्रामसभा के समक्ष पढ़कर सुनाया जाना अनिवार्य होगा।
11. ग्राम पंचायत/कियान्वयन ऐजेन्सी द्वारा मजदूरी भुगतान का वितरण परिवार रोजगार कार्ड में इन्द्राज किया जावेगा तथा ये भुगतान कर्त्ता का दायित्व होगा।
12. जिला कार्यक्रम समन्वयक किसी भी कियान्वयन ऐजेन्सी के कार्य आंरभ के असफल होने पर कियान्वयन ऐजन्सी को बदल कर अन्य ऐजेन्सी का निर्धारण कर सकेगा।
13. इस राशि का लेखा–जोखा बिल्कुल अलग रखा जायेगा।
14. प्रशासकीय स्वीकृति आदेश प्राप्त होते ही कार्य प्रांरभ करके 2 माह के भीतर पूर्ण कराया जावे।
15. कार्यस्थल पर बोर्ड प्रदर्शित किया जावे जिसमें योजना का नाम स्वीकृति वर्ष एवं स्वीकृति राशि तथा मजदूरी का उल्लेख हो।
16. कार्य प्रारंभ के पूर्व प्रगति के दौरान एवं पूर्णता पश्चात् कार्य का फोटोग्राफ लिया जावे जिसे पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करके जमा किया जावे।
17. कार्य किसी अन्य योजना का मद से स्वीकृत न होने अथवा रा0ग्रा0रो0गा0 योजना अंतर्गत पूर्व से स्वीकृत न हो।
18. प्रस्तावित कार्य के स्तिल शासकीय व अविवादित होना चाहिए उक्त स्तिल अन्य योजना हेतु आरक्षित नही होना चाहिए।
19. मस्टर रोल का सत्यापन चौपाल में कराने उपरान्त भुगतान करें। सत्यापन नहीं होने की स्थिति में अमान्य किया जावेगा।
20. कार्य में बाल श्रमिक को न रखा जावे।

21 प्रकरणों के साथ नक्शा–खसरा तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।
22 स्वीकृत कार्य के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को राज्य शासन द्वारा 1 अप्रैल 2013 से निर्धारित मजदूरी दर 146.00 प्रतिदिन के आधार पर भुगतान किया जावें। एवं कार्यरत मेंटों को 197.00 रूप्ये प्रतिदिन के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जावें।
23 प्रत्येक कार्य हेतु रोजगार पंजी का संधारण करें एवं पंजी कार्य स्थल पर रखा जावें।
24 यह सुनिश्चित कर लेवें की जॉबकार्ड परिवारों को 150 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ है या रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। उसको संलग्न किया जावें।
25 कार्य स्थल पर मस्टररोल स्टीमेट अनिवार्य रूप से रखें।
26 स्वीकृत कार्यों के प्रारंभ से पहले, कार्य कियान्वयन के मध्यम में तथा निर्माण कार्य के संपादन उपरांत कार्यस्थल का फोटो अनिवार्यतः लिया जावें।

उक्त कार्य हेतु निम्न बातों को ध्यान में रखा जावे ।

1 रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत उस क्षेत्र में अन्य कार्य संचालित है / नहीं ।
2 आस–पास के 5 किमी के परिधि में पंजीकृत मजदूरों द्वारा कार्य की मांग की गई है अथवा नहीं ।
3 कार्य में उन्ही मजदूरों को नियोजित किया जावेगा जिनकी सूची ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत द्वारा आपको प्राप्त हो
4 यह सुनिश्चित कर लेवें कि 150 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ है या नहीं ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ.क्र./6021/ जि.पं./MGNRGEA/2013–14 कांकेर दिनांक 02/07/2013

प्रतिलिपि :–

1 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर ।
2 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व (राहत) विभाग मंत्रालय रायपुर ।
3 आयुक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
4 माननीय सांसद, लोकसभा क्षेत्र कांकेर ।
5 माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
6 माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र, कांकेर/भानुप्रतापपुर/अंतागढ़ ।
7 कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ ।
8 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कांकेर/भानुप्रतापपुर/पंखाजूर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।
9 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत..................को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।
10 कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत..................को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू
11 लेखा शाखा MGNREGA जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।
12 सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत .... जनपद पंचायत..................जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर